विष्णुप्रयाग और श्रीनगर पनबिजली परियोजनाएं

*122. **प्रो.अलका क्षत्रियः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि उत्तरांचल की विष्णुप्रयाग और श्री नगर पनबिजली परियोजनाओं पर नये सिरे से हस्ताक्षर किए जाने का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की मांग इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य रूकावट हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार को उक्त रूकावट को दूर करने के लिए प्रस्ताविक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (**श्री अनन्त गंगाराम गीते**) (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत स्कीमों को क्रियान्वयन हेतूनिजी क्षेत्रों को सौपा गया था। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य के विघटन होने और उत्तरांचल नया राज्य बन जाने के बाद ये स्कीमें अब नए राज्य उत्तरांचल मे आती हैं, यद्यपि इनसे उत्पादित विधुत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को की जाएगी। इस संदर्भ में कुछेक करारों यथा क्रियान्वयन करार विद्युत क्रय करार और एस्क्रो करार इत्यादि जो की पहले ही परियोजना विकासकर्त्ताओं और यू.पी.एस. ई. बी. के बीच निष्पन्न है, उपयूक्त रूप से संशोधित किए जाने हैं।

(ग) और (घ) उत्तरांचल सरकार की इन दोनों जल विद्युत उत्पादन स्कीमों से 12% निशुल्क विद्युत प्राप्त करने की मांग संबंधी मद्दे पर चर्चा अन्य के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 24 जून, 2002 को सचिव द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में की गई थी। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि विष्णुप्रयाग परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उत्तरांचल को 12% निशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए तैयार है यदि उत्तर प्रदेश द्वारा इस विद्युत कि निकासी किए जाने हेतु पारेषण नेटवर्क निर्मित करने की अनुमति मिल जाती है। बाद में उत्तरांचल सरकार इस

मात्रा के लिए राजी हो गयी कथित बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकर के प्रतिनिधि द्वारा यह भी सुचित किया गया था कि श्रीनगर परियोजना के लिए भी उन्होंने समान कार्रवाई करना प्रस्तावित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना से उत्तरांचल के लिए 12% निशूल्क विद्युत पर वे पहले ही सहमति प्रदान कर चुके हैं। जहां तक श्रीनगर परियोजना का संबंध है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सुचित किया है कि विष्णुप्रयाग परियोजना के संबंध में संशोधिक पीपीए और संशोधित एस्क्रो और बन्धक करार (हाइपोथिकेसन एग्रीमेंट) हस्तक्षरित कर लिए गए हैं। इस परियोजना के संशोधित क्रियान्वयन करार को अंतिम रूम दिए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Vishnuprayag and Srinagar Hydro-power Projects

†* 122. PROF. ALKA BALRAM SHATRIYA: Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that agreements for Vishnuprayag and Srinagar hydro-power projects of Uttaranchal are proposed to be signed afresh;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whemer Uttar Pradesh's demand for 12 per cent free power is the main hurdle in the implementation of these projects; and

(d) if so, the details of action Government propose to take to resolve the said hurdle?

THE MINISTER OF POWER (SHRI AN ANT GANG ARAM GEETE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir,

(b) The Vishnuprayag and Srinagar Hydro-electric schemes were awarded for implementation in the private sector by the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB). Subsequently, consequent to bifurcation of the State of Uttar Pradesh and formation of the new State of Uttranchal, these schemes now fall in the new State of Uttaranchal though the power to be generated would be supplied to Uttar Pradesh. It is in this context that some of the agreements *viz.,* the Implementation Agreement, Power Purchase Agreement (PPA) and Escrow Argreement already entered into between the project developers and the UPSEB, may have to be suitably amended.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) and (d) The issue regarding demand of the Government of the Uttaranchal for 12% free power from these two hydro electric generation schemes was discussed in a review meeting taken by the Secretary (Power) on 24th June, 2002 with representatives, *inter-alia,* from the Government of Uttar Pradesh and Uttaranchal. During the meeting, it was informed by the representatives of Uttar Pradesh that the State Government of Uttar Pradesh is prepared to give 12% free power to Uttaranchal in regard to the Vishnuprayag project, if the transmission network for evacuation of this electricity is allowed to be constructed by Uttar Pradesh. Government of Uttaranchal have subsequently agreed to this proposition. It was also informed by the representative of Government of Uttar Pradesh during the said meeting that they propose to take similar action for the Srinagar project also. The Government of Uttar Pradesh has informed that 12% free power from the Vishnuprayag Hydro-Electric project to Uttaranchal, has already been agreed to by them. In regard to the Srinagar project, the decision is yet to be taken by the Government of Uttar Pradesh.

Government of Uttar Pradesh has also informed that the amended PPA and amended Escrow and Hypothecation Agreement have been signed in respect of the Vishnuprayag project. The finalization of the revised Implementation Agreement of this project is under active consideration of the UP Government and Uttaranchal Government.

प्रो. अलका क्षत्रियः सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी की उत्तरांचल के अंदर जो दो नई पंनबिजली परियोजनाएं कार्यविन्त होने जा रही है , उनके बारे में जो बाधा हुई है उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश कि सरकार जवाबदेह हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त बिजली की जो माग की है वह इसमें बाधक है, अगर यह बात सच है तो आप इस के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, मूल प्रश्न के उत्तर में हमने इसे स्पष्ट कर दिया है फिर भी सदन में माननीय सदस्यों ने मांग की है इस लिए मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहुंगा कि...(**व्यवधान**)...

प्रो.अलका क्षत्रियः मैं पनबिजली परियोजनाओं के बारे में जानना चाहूगी।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये जल विद्युत परियोजना राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से बनने जा रही हैं यहां तक बारह प्रतिशत मुफ्त बिजली की बात है तो जिस राज्य में यह परियोजना बनने जा रही है, यह देने की जो परंपरा है, उसके मुताबिक जब ये परियोजनाएं बनाईं गई, जब

इनका प्लान किया गया तब एक राज्य था लेकिन अब राज्य का पुनर्गठन होकर उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल हो गया है ये परियोजनाएं उत्तरांचल में आती है । सभापति जी वैसे तो यह राज्य का विषय है लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि परियोजनाएं समय पर तैयार हों। जो बिजली को मांग है उसकी पूर्ति हम कर सकें, इसके लिए मंत्रालय कि ओर से प्रयास किए गए हैं। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के साथ मीटिंग करके उन्हें यह समझाया गया कि जिस राज्य में परियोजनाएं बनने जा रही हैं, ये उसके अधिकार में हैं विष्णुप्रयाग के संदर्य में उत्तर प्रदेश ने इस बात को को मान लिया है। जब ये परियोजनाएं चलेंगी तो जो बारह प्रतिशत फ्री बिजली का फ्री लाभ मिलना चाहिए वह उत्तरांचल को मिल जाएगा। इसी प्रकार से श्रीनगर के संबंध में भी चर्चा हो गई हैं। अभी उसका कमीशन होना बाकी है। जब कमीशन हो जाएगा तब उस पर भी निर्णय होगा उत्तर प्रदेश सरकार अपने कैबिनेट में इसका फैसला निश्चित रूप से करेगी । जो परंपरा हैं, इस परंपरा के मुताबिक जिस राज्य में परियोजना है, उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं माननीय इस भावना से सहमत हूं।

प्रो. अलका क्षत्रियः यह कमीशन कब तक बन जाएगा? कितने समय के अंदर बन जाएगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीतेः सभापति जी, समय के बारे में कहना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि यह परियोजना राज्य की है। निजी क्षेत्र को लेकर इस परियोजना जा रहा है। प्रयास निरन्तर चल रहा है कि ये परियोजनाएं जल्द पूरी हो जाएं।

श्री हरीश चन्द्र सिंहः सभापति जी, उत्तरांचल में जल विद्युत कि अपार संभावनाएं हैं। हिमालयी राज्यों में यहीं ऐसा है जहां पर जल विद्युत संपदा का दोहन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है कुछ शुरूआत हुई है और इस शुरूआत स्वरूप माननीय मंत्री जी ने अभी दो परियोजनाओं का जिक्र किया है कि, उस के विषय में पावर शेयरिंग एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। यह एक अच्छी सूचना है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या उस क्षेत्र में कायर्रत एन.एच.पी.सी. और टी.एच.डी.सी. जो भारत सरकार के अधीन हैं, इन संस्थाओं को, इन उपक्रमों से यह कहा जाएगा कि वे वहां पर अपना कार्य क्षेत्र विस्तारित करें नई परियोजनाएं, जो राज्य में प्रस्तावित हैं, जिनमें धौलीगंगा, फेज-2 और गौरीगंगा फेज-1 इसी प्रकार से हमारी लक्कारशि जैसी दूसरी परियोजनाएं हैं, जिनके प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पहले से ही लंबित है, क्या इन प्रस्तावित अन्वेषित योजनाओं के निर्माण के लिंए भारत सरकार एन.एच.पी.सी को स्वीकृति देगी? क्या यह संभव है जहां अन्वेषण प्रस्तावित है, उनके अन्वेषण का कार्य करवाया करवाया जाएगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीतेः सभापति जी मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं कि उत्तरांचल में पन बिजली की क्षमता काफी है। इसे पूरे तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास ऊर्जा मंत्रालय की ओर से निश्चित रूप से किया जाएगा। आपने यहां पर धौलींगंगा का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि 280 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो 2005 तक पूरा हो सकेगा। एन.एच.पी.सी. को भी इसी प्रकार से सूचनाएं मंत्रालय की और से दी गई है। विशेषकर जो केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण है उसकी ओर से उत्तरांचल से लेकर राष्ट्र के देश के हर प्रांत में जहां पर पन बिजली कि क्षमता है हम प्रोजेक्ट, परियोजनाएं कर सकते हैं। उसका प्रथम सर्वेक्षम भी हुआ है। यह प्रयास निरंतर हो रहा है कि जो हमारी परंपरागत जल विद्युत पद्धति है, पनबिजली है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और उसका सही उपयोग किया जाए। इस प्रकार का प्रयास निरंतर शूरू है। जो भी प्रस्ताव उत्तरांचल के विलम्बित हैं उन प्रस्तावों को जल्द निपटाया जाएगा।

SHRI B.J. PANDA : Sir, from the Hon. Minister's statement it appears that there is a commendable degree of cooperation between these two neighbouring States, where Uttaranchal has asked for free power and Uttar Pradesh has agreed, in fact, to build the transmission line and give them free power. My question to the Hon. Minister is regarding the percentage of free power. I would like to know whether there are any norms laid down by the Ministry. This is important. Increasingly, in recent times, many projectsjiave got affected, because the States in which the project is being built, demands for power and the percentage has varied. Twelve per cent is a number that we have seen. There are lower numbers and higher numbers. This is relevant because in hydro-projects like this, there are issues of displacement of people. In Thermal projects, there are issues of handling of ash and other bi-products. Particularly when the electricity is going to different States....

MR. CHAIRMAN : What do you want to know from the Minister in this particular question?

SHRI B. J. PANDA: 1 would like to know if there is a norm laid down.if not, whether he proposes to put down such a norm.

श्री अनन्त गंगाराम गीतेः सभापति जी, 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की जो बात है, जब एनएचपीसी या ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हम एक राज्य में पिरयोजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ हम कई राज्यों को देते हैं तो जब परियोजना किसी एक राज्य में बनती है और अनेक राज्य उसका लाभ

उठाते हैं तो जिस राज्य में ये परियोजनाएं चलायी जाती है उस राज्य कि यह मांग निरंतर रहती है कि हमारे क्षेत्र में ये परियोजाएं चलायी जा रही है उसका लाभ अन्य उठाते हैं....

श्री सभापतिः आप इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीतेः उसी का उत्तर दे रहा हूं। इसलिए यह 12 प्रतिशत कि बात तय हो गयी और परंपराके तहत यह 12 प्रतिशत कि बात निरंतर चलती आ रही है। अब कुछ राज्य 12 प्रतिशत से बढ़ाकर ज्यादा मुफ्त बिजली मांगने की बात रहे हैं।

श्री सभापतिः ठीक है। प्रश्न संख्या 123

बिजली कि प्रति व्यक्ति खपत

*123. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बिजली कि प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार व्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कि खपत का ध्यौरा क्या है;और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ इन आंकड़ों कि तुलना किस तरह की जा सकती है?

विद्युत मंत्री(**श्री अनन्त गंगाराम गीते**)**:** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।(**नीचे देखिए**)

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों /यूटिलियों द्वारा ग्रामीण एंव शहरी खपत के लिए श्रेणीकरण नहीं किया जाता है भारत में कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति लगभग 30% सूचित कि गयी है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत कि आपूर्ति लगभग 21% अनुमानित की गयी है।

(ग) भारत में विद्युत कि प्रति व्यक्ति खपत विकासशील देशों और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कि तुलना में कम है। तथापि भारत कि प्रति व्यक्ति खपत पड़ोसी देशों अर्थात्